

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक:-प.1(3)न्याय/2010


दिनांक

- 5 JUN 2020

### अधिसूचना

द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपोजिट स्कीम एक्ट, 2019 की धारा 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श उपरान्त उक्त अधिनियम के अधीन प्रकरणों के विचारण हेतु, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम तथा जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-द्वितीय के न्यायालयों को उनकी अपनी-अपनी क्षेत्रीय सीमाओं में अधिकारिता वाला न्यायालय एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से विनिर्दिष्ट करती है।


राज्यपाल के आदेश से,

  
5-6-2020  
(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण), शासन सचिवालय, जयपुर।
8. जिला कलक्टर/ पुलिस आयुक्त, जयपुर।
9. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम एवं जयपुर महानगर द्वितीय।
10. महानिदेशक, आरक्षी/ जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
13. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वैबसाईट एवं ई-गजट में ऑनलाईन प्रकाशन करवाने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

  
5-6-2020

(मधुसूदन शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव